शशि मोहन

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2008 की आपराधिक अपील सं. 1093)

15 जुलाई, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम जे.जे)

दण्ड संहिता, 1860

धारा 302 सपठित धारा 34- हत्या- दो अन्य अभियुक्तों के साथ अभियोजन- अभियुक्त किसी भी हथियार से लैस नहीं था- उसका कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं था- अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि- अपील में, अभिनिर्धारितः दोषसिद्धि उचित नहीं- प्रकरण के तथ्यों में अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ- अभियुक्त का अन्य अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय साझा करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ।

धारा 34- सामान्य आशय- लागू होना- का दायरा- अभिनिर्धारित किया- प्रावधान की सहायता तब लागू की जाती है जब सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करने वाले किसी समूह के व्यक्तिगत सदस्यों के कृत्यों के बीच अन्तर करना मुश्किल होता है- प्रावधान के लागू होने के लिए अभियुक्त की ओर से कोई प्रत्यक्ष कार्य दर्शाना आवश्यक नहीं है।

अपीलकर्ता- अभियुक्त (ए-2) पर अन्य दो अभियुक्त ए-1 और ए-3 के साथ

धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा चलाया गया। घटना के तीन गवाह थे। इसका मकसद पक्षकारान् के मध्य दुश्मनी बताया गया है। विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तगण को धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध किया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान, ए-1 की मृत्यु हो गई और उसकी अपील समाप्त हो गई। ए-2 (अपीलकर्ता) को धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध किया गया, जबकि ए-3 को धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया गया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता- अभियुक्त सं. 2 ने तर्क दिया है कि उसकी दोषसिद्धि धारा 34 की सहायता से उचित नहीं थी, क्योंकि अन्य अभियुक्तों के साथ उसकी पूर्व-गठित योजना साबित नहीं हुई थी और स्वीकृत रूप से वह ना तो सशस्त्र था और ना ही उसका कोई प्रत्यक्ष कृत्य था।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत दायित्व का सार उस सामान्य आशय के अस्तित्व में मिलता है, जो अभियुक्त को हरकत में लाकर उस आशय को अग्रसर करने के लिए कोई आपराधिक कार्य करवाता है। धारा 34 के प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिणामस्वरूप, जब किसी अभियुक्त को धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है, तो विधि में इसका अर्थ है कि अभियुक्त उस कृत्य के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई है, जैसे कि उसने अकेले उस कार्य को अंजाम दिया है। यह प्रावधान उन मामलों के निपटारे के लिए है, जिनमें किसी दल के व्यक्तिगत सदस्यों के कार्य को अलग-अलग करना कठिन हो या यह साबित करना कठिन हो कि उन सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में उनमें से प्रत्येक ने ठीक-ठीक कितना भाग लिया था। धारा 34 तब भी लागू होती है, जब अभियुक्त स्वयं

द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचाई गई हो। धारा 34 के लागू करने के लिए अभियुक्त द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य दर्शाया जाना आवश्यक नहीं है। हालांकि हस्तगत मामले के तथ्यों में, वर्तमान अपीलकर्ता के विरूद्ध आरोप साबित नहीं हुए है। सामान्य आशय होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। (पैरा 8 व 9) (981-ई, एफ, जी और एच; 982-ए)

चि. पुल्ला रेडडी और अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य ए.आई.आर 1993 एस.सी. 1899 पर निर्भर है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2008 की आपराधिक अपील सं. 1093

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर पीठ के 1993 आपराधिक अपील सं. 83 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 28.09.2007 से।

अपीलार्थी की ओर से नगेन्द्र राय, पी.एच. पारेख, जेतेन्द्र सिंह और एस.के. सभरवाल।

प्रतिवादी की ओर से गोविन्द गोयल, सी.डी. सिंह, राम नरेश यादव, मेरूसागर, समानता रे. और सनी चौधरी।

इस न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अपील स्वीकार

2. हस्तगत अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर पीठ के खण्डपीठ के फैसले को चुनौती दी गई है। तीन व्यक्ति अर्थात् रामेश्वर दयाल, शशि मोहन और रवि मोहन, इसके पश्चात् ए-1, ए-2 और ए-3 के रूप में वर्णित किये गये हैं, ने कथित आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षिप्त में आई.पी.सी.) के लिए अन्वीक्षा भुगती। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुरैना ने

उन्हें दोषी पाया और प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान ए-1 की मृत्यु हो गई और इसलिए ए-1 के विरूद्ध अपील को समाप्त कर दिया गया था। हस्तगत अपील ए-2 द्वारा है। ए-1 और ए-2 को धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धी किया जाकर सजा सुनाई गई, जबकि ए-3 को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराया।

3. विचारण के दौरान आई अभियोजन कहानी इस प्रकार है किः

दिनांक 03.03.1992 को सुबह 9.30 बजे पीपलवाली माता से रूई की मण्डी जाने वाली सड़क पर एवं मुरैना में चौराहे से आगे एक राकेश पुत्र रामसिंह (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) को ए-3 ने बन्दूक से तीन गोलियां मार दी, जिससे राकेश की तुरन्त मौत हो गई। कथित तौर पर ए-1 के परिवार और मृतक के पिता रामसिंह के बीच पुरानी दुश्मनी थी। ए-1 और रामसिंह सगे भाई है। उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना कोतवाली को सुबह 9.40 बजे मृतक राकेश के भाई राधेश्याम (अभियोजन गवाह सं. 1) द्वारा दी गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.1) दर्ज की गई और अपराध सं. 144/92 अन्तर्गत धारा 302@34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की जाकर अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. आरोपित अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन की ओर से 12 गवाह परीक्षित हुए। अभियोजन गवाह सं. 1, 2 व 3 चक्षदुर्शी गवाह बताये गये। झूठा फंसाने के अपने तर्क को स्थापित करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से डी.डब्ल्यू-1 यह साबित करने के लिए परीक्षित हुआ कि ए-3 अन्य जगह पर उपस्थित था। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को ठोस पाया और उपर बताये अनुसार दोषसिद्ध घोषित किया।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता का मुख्य बिंदू यह रहा कि उसके संबंध में धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता लागू नहीं होती है। उच्च न्यायालय ने उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया।

6. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है किसी भी चश्मदीद गवाह ने वर्तमान अपीलकर्ता ए-2 का अपराध कारित करने से पूर्व ए-1 और ए-3 के साथ पूर्व गठित योजना होने का कथन नहीं किया है। गवाहान् ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त सशस्त्र नहीं था और उसका कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं था। इसके अतिरिक्त वह एक अलग दिशा से आ रहा था और इसलिए उसका सामान्य आशय साझा करने का प्रश्न ही नहीं था।

7. दूसरी ओर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि यद्यपि ए-2 सशस्त्र नहीं था और एक अलग दिशा से आ रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति स्थापित हुई है। वह ए-1 का बेटा और ए-3, मुख्य हमलावर का भाई होने से धारा 34 के आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से स्थापित होते हैं।

8. धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत दायित्व का सार उस सामान्य आशय के अस्तित्व में मिलता है, जो अभियुक्त को हरकत में लाकर उस आशय को अग्रसर करने के लिए कोई आपराधिक कार्य करवाता है। धारा 34 के प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिणामस्वरूप, जब किसी अभियुक्त को धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है, तो विधि में इसका अर्थ है कि अभियुक्त उस कृत्य के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई है, जैसे कि उसने अकेले उस कार्य को अंजाम दिया है। यह प्रावधान उन मामलों के निपटारे के लिए है, जिनमें किसी दल के व्यक्तिगत सदस्यों के कार्य को अलग-अलग करना

कठिन हो या यह साबित करना कठिन हो कि उन सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में उनमें से प्रत्येक ने ठीक-ठीक कितना भाग लिया था। जैसा कि च.पुल्ला रेड्डी व अन्य बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य (ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1899) में प्रतिपादित किया है कि, धारा 34 तब भी लागू होती है, जब अभियुक्त स्वयं द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचाई गई हो। धारा 34 के लागू करने के लिए अभियुक्त द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य दर्शाया जाना आवश्यक नहीं है।

9. उक्त विधिक सिद्धांत की रोशनी में प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि वर्तमान अपीलकर्ता के संबंध में आरोप स्थापित नहीं हुए थे। सामान्य आशय साझा करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ। हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। यदि अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो, तो उसे तुरन्त रिहा कर दिया जावें।

के.के.टी.

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रविन्द्र छाबा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।